संख्या:80/2022/221/35-4-2022

प्रेषक,

ऋषिकेश दुबे,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
सिद्धार्थनगर।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक: 10 मार्च, 2022

विषय: वित्तीय वर्ष 2021-22 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में जनपद सिद्धार्थनगर में शासनादेश संख्या-198/2021/1740/35-4-2021 दिनांक 25 अक्टूबर, 2021 द्वारा सड़क निर्माण से सम्बन्धित 02 कार्यों की रू. 5597.34 लाख की लागत पर प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू. 200.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी। शासनादेश संख्या-43/2022/113/35-4-2022 दिनांक 01 फरवरी, 2022 द्वारा रूपए 2598.67 लाख द्वितीय किश्त के रूप में तथा तथा शासनादेश सं0-62/2022/170/35-4-2022 दिनांक 22 फरवरी, 2022 द्वारा रूपए 1343.24 लाख की धनराशि तृतीय किश्त के रूप में अवमुक्त की गयी है। इस प्रकार विचाराधीन दोनो कार्यों हेतु अभी तक अनुमोदित लागत रूपए 5597.34 लाख के सापेक्ष कुल मिलाकर रूपए 4141.91 की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर के पत्र सं0-1062/त्व0आ0वि0यो0/2021-22, दिनांक 07 मार्च, 2022 द्वारा उक्त शासनादेश से स्वीकृत कार्यों हेतु प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय किश्त के में अवमुक्त धनराशि का पूर्ण उपभोग होना इंगित किया गया है। एतद्द्वारा सन्दर्भित शासनादेश से स्वीकृत उक्त उक्त 02 कार्यों हेतु अनुमोदित लागत के सापेक्ष पूर्व में अवमुक्त धनराशि को समायोजित करते हुए चतुर्थ किश्त किश्त के रूप में रू. 1175.57 लाख (रूपये ग्यारह करोड़ पचहत्तर लाख लाख सत्तावन हजार मात्र) की धनराशि धनराशि आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(रू. लाख में)

	कार्य	**अनुमोदित लागत**	**पूर्व में अवमुक्त धनराशि**	**अवमुक्त धनराशि**
1	नौगढ़ जिला मुख्यालय से धेन्सा पलिया कटहना कड़जहवा होते हुए करौती रक्शा सेखवनिया र्मा तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य	2461.26	1821.28	516.92
2	चिल्हिया से पल्टादेवी वाया बजहा मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का का कार्य	3136.08	2320.63	658.65
	योग:	**5597.34**	**4141.91**	**1175.57**

1- सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 25 अक्टूबर, 2021, 01 फरवरी, 2022 तथा 22 फरवरी, 2022 की शर्तें यथावत लागू रहेगी।

2- प्रश्नगत कार्यों हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि एक सप्ताह के अन्दर नियमानुसार संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी।

3- परियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

4- स्वीकृत धनराशि का आहरण कर सदुपयोग सुनिश्चित किया जायेगा और यदि कोई धनराशि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

किया जायेगा।

5- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ0प्र0 में अनुरक्षित लेखों से नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

6- वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए स्वीकृत बजट के सापेक्ष उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021 दिनांक 22 मार्च, 2021 में उल्लिखित शर्तो एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

7- कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था द्वारा सम्परीक्षित लेखे अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये जायेंगे।

2- उपर्युक्त कार्यों पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-40-लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-03-त्वरित आर्थिक विकास योजना-03-ग्रामीण क्षेत्रों में अधूरी सड़को के लिए एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021 दिनांक 22 मार्च, 2021 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अनुक्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(ऋषिकेश दुबे)
विशेष सचिव।

संख्या:80/2022/221(1)/35-4-2022 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज (इलाहाबाद)।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज (इलाहाबाद)।
3- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त, उ0प्र0शासन।
4- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0शासन।
6- निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डलायुक्त, बस्ती।
8- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।
9- मुख्य विकास अधिकारी, सिद्धार्थनगर।
10- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, सिद्धार्थनगर।
11- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग- 5
12- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, सिद्धार्थनगर।
13- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, सिद्धार्थनगर।
14- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ऋषिकेश दुबे)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in